

उत्तर प्रदेश शासन

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास अनुभाग

संख्या-98/2018/2636/89-व्या०शि० एवं कौ०वि० वि०-2018-26(टी)/2010

लखनऊ: दिनांक 25 जुलाई, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के शासनादेश संख्या-71/2018/ 1686/89-व्या०शि० एवं कौ०वि० वि०-2018-26(टी)/2010 दिनांक 11-05-2018 द्वारा प्रदेश के निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने वाले छात्रों के शुल्क का नियतन एवं प्रवेश प्रक्रिया के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये हैं। इस शासनादेश के प्रस्तर-4 के अन्तर्गत छात्रों से लिए जाने वाले मानक शुल्क का निर्धारण एक समिति एवं इसके अधीन गठित उप समिति के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था की गयी है। समिति के अध्यक्ष प्रमुख सचिव/सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास, उ०प्र०शासन एवं अन्य सदस्य सचिव/विशेष सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र०शासन तथा निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ०प्र० हैं।

2- उक्त शासनादेश के अन्तर्गत निहित व्यवस्था के क्रम में शासनादेश संख्या-1796/89-व्या०शि० एवं कौ०वि० वि०-2018-26(टी)/2010, दिनांक 24-5-2018 द्वारा निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के मानक शुल्क के निर्धारण हेतु गठित उप समिति की संस्तुतियों पर विचार कर मानक शुल्क के निर्धारण हेतु समिति की बैठक दिनांक 9-7-2018 को सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

3- समिति की संस्तुति के दृष्टिगत प्रदेश के निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित इंजीनियरिंग व्यवसायों में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु रू० 18000.00 प्रति प्रशिक्षार्थी प्रतिवर्ष आगामी 03 वर्षों अर्थात् 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 के लिए तथा नान-इंजीनियरिंग व्यवसायों में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु रू० 15,400.00 प्रति प्रशिक्षार्थी प्रतिवर्ष आगामी 03 वर्षों अर्थात् 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 के लिए मानक शुल्क निर्धारित किया जाता है।

4- आगामी 03 वर्षों अर्थात् 2021-22, 2022-23 तथा 2023-24 हेतु शुल्क का निर्धारण वर्ष 2021-22 में किया जायेगा।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5- उक्तानुसार निर्धारित किये गये मानक प्रशिक्षण शुल्क को एस0सी0वी0टी0 की वेबसाइट, प्रदेश के समाचार पत्रों तथा प्रत्येक निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित कराया जायेगा।

6- जिन निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्य/प्रबन्धकों को उक्त निर्धारित मानक शुल्क स्वीकार्य नहीं है तथा वे इससे इतर प्रशिक्षण शुल्क निर्धारित कराना चाहते हैं तो इस हेतु वे अपने आय-व्यय विवरण तथा बैलेंसशीट व अन्य संगत अभिलेखों के साथ मानक शुल्क से इतर शुल्क निर्धारण हेतु औचित्यपूर्ण प्रस्ताव समिति के विचारार्थ राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश, अलीगंज लखनऊ में प्रस्तुत करेंगे।

भुवनेश कुमार

सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ0प्र0, लखनऊ।
- (2) अधिशासी निदेशक, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0अलीगंज, लखनऊ।
- (3) सचिव, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- (4) महानिदेशक प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- (5) प्रधानाचार्य/प्रबन्धक समस्त निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश (द्वारा निदेशक)।
- (6) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ० संदीप परमार)

अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।